

बजट 2022-23: प्रत्यक्ष कर

प्रलिस के लयः

प्रत्यक्ष कर से संबंघतऱ नयऱ, कारुडकरड, डुडनररँ तथर सरकरर डवरर करुड डर बदलरव ।

डेनुस के लयः

वृद्धरँ वकरसर, डडरवेशर वकरसर, संसरधनुँ कर संगररहण, सरकरर नरतथररँ और हसुतकषेड, प्रत्यक्ष करुँ कर महतुतुव ।

कररर डेँ करुँ?

हल हर डेँ वतुतऱ डुतरर डवरर संसड डेँ केंडुररड डजट 2022-23 डेश करुड डरर है ।

- करुँ और करतुवरुँ से संबंघतऱ डुरसुतररुँ कर उदुदेशुड कर डुरणरलर कर सरल डनरनर, कररडरतररुँ डवरर सुवैकषुकऱ अनुडरलन कर डदुवर डेनर और करुँ से संबंघतऱ डुकदुडेडरडुडर कर डड करनर है ।
- प्रत्यक्ष कर डक डेसर कर है डसऱकर डुडतन डक वुडकुतुडर डंगठन सरधे उस डकडरँ करुतऱ है डसऱने डसे लडरर डर । उदरहरण: डरडकर, वरसुतुवकऱ संडतुतऱ करर, वुडकुतुडऱ संडतुतऱ करर डर संडतुतऱ डर कर ।



Extending Period of Incorporation by one more year of Eligible Startups for Providing Tax Incentives



Better Litigation Management to Avoid Repetitive Appeals



Income from Transfer of Virtual Assets to be Taxed at 30%



Surcharge/ Cess on Income & Profits Not Allowable as Business Expenditure

व्यक्तिविशेष के लिये:

- **अद्यतन वविरणी/अपडेटेड रटिर्न:**
 - सरकार ने दाखलि कयि गए आयकर रटिर्न (Income Tax Returns- ITRs) में चूक को ठीक करने के लिये वन-टाइम वडिओ (One-Time Window) की सुवधि प्रदान करने का प्रस्ताव कयि है।
 - करदाता संबंधित आकलन वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर अद्यतन वविरणी/अपडेटेड रटिर्न (Updated Returns) फाइल कर सकते हैं।
- **दवियांगजनों को कर राहत:**
 - दवियांग आशरतियों को उनके माता-पति/अभभावकों के जीवनकाल के दौरान यानी माता-पति/अभभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशिकी अदायगी की अनुमति प्रदान की गई है।
 - वर्तमान कानून माता-पति या अभभावक हेतु कटौती का प्रावधान केवल तभी करता है जब माता-पति या अभभावक की मृत्यु पर दवियांग व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी (Annuity) उपलब्ध हो।
- **राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता:**
 - राज्य सरकार के कर्मचारियों के **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली** खाते में नयिकता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
 - इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुवधि प्रदान करने में मदद मिलेगी।
 - यह सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने में मदद करेगा।

कॉर्पोरेट व्यवसायों और सहकारी समितियों के लिये क्या है?

- **सहकारी समितियों के लिये वैकल्पिक न्यूनतम भुगतान कर और अधभार:**
 - **सहकारी समितियों** और कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों के लिये वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को घटाकर 15 प्रतिशत कयि गया।
 - उन सहकारी समितियों के लिये अधभार की मौजूदा दर को **12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत** कयि गया, जिनकी कुल आमदनी **एक करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक** है।
 - इससे सहकारी समितियों तथा **इसके सदस्यों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी जो कजियादातर ग्रामीण एवं कृषक समुदायों से हैं।**
- **स्टार्टअप के लिये प्रोत्साहन:**
 - मार्च 2022 से पहले स्थापित **स्टार्टअप** को नगिमन की अवधि से दस वर्षों में से लगातार तीन वर्षों के लिये कर प्रोत्साहन प्रदान कयि गया था।
 - कोवडि महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा इस तरह के कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये पात्र स्टार्टअप के नगिमन की अवधि को एक और वर्ष यानी मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

वर्चुअल डजिटल संपत्तियाँ:

- **वर्चुअल डजिटल परसिंपत्तियों के कराधान हेतु योजना:**
 - वर्चुअल डजिटल परसिंपत्तियों के लिये विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। कसि भी वर्चुअल डजिटल परसिंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30 प्रतिशत होगी।
 - इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधगिरहण लागत को छोड़कर कसि भी खर्च अथवा भत्ते के लिये कटौती नहीं होगी।
 - वर्चुअल डजिटल परसिंपत्तियों के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई कसि अन्य आय से नहीं की जा सकती।
 - लेन-देन के वविरण हेतु वर्चुअल डजिटल परसिंपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में कयि गए भुगतान पर एक नश्चिति मौद्रिक सीमा से ऊपर की राशिके लिये 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (TDS) देय होगी।
 - वर्चुअल डजिटल परसिंपत्तियों के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता द्वारा कर की राशि देय होगी।

कराधान को सरल बनाना:

- **मुकदमा प्रबंधन:**
 - यदि कसि मामले में कानून संबंधी उसी तरह का कोई वषिय शामिल हो, जसिसे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो वभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा फैसला दिये जाने तक टाल दिये जाएगा।
 - करदाताओं और वभाग के बीच प्रक्रिया के दोहराव से बचने में इससे काफी मदद मिलेगी।
- **कर चोरी की रोकथाम:**
 - तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगी आय/राशिके संबंध में कसि भी प्रकार की हानिके प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **अंतरराष्ट्रीय ववित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) को कर प्रोत्साहन:**
 - नरिदषिट शर्तों के अधीन नमिनलखिति को कर से छूट दी जाएगी:
 - 'ऑफशोर डेरविटवि' उपकरणों से अनविसी की आय।
 - एक अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा जारी कयि गए 'ओवर द काउंटर डेरविटवि' से आय।
 - रॉयल्टी से आय और जहाज को लीज पर देने से प्राप्त ब्याज।
 - IFSC में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय।

कर युक्तिकरण के सरकार के प्रयास:

- टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना:
 - एजेंटों को कर योग्य व्यवसायों हेतु प्रोत्साहति करने संबंधी लाभ प्रदान करना ।
 - वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपए से अधिक होने पर लाभ देने वाले व्यक्तियों को कर कटौती प्रदान की जाती है ।
- अधभार का युक्तिकरण:
 - एओपी (अनुबंध के नषिपादन के लयि गठति कंसोर्टयिम) पर अधभार की उच्चतम सीमा 15 प्रतशित नरिधारति की गई है ।
 - व्यक्तगित कंपनयिों और एओपी के बीच अधभार में अंतर को कम कयिा गया है ।
 - कसिी भी प्रकार की परसिंपत्तिके हस्तांतरण से होने वाले दीर्घावधिपूंजीगत लाभ पर अधभार की अधिकतम सीमा 15 प्रतशित होगी ।
 - इससे स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहन मल्लिगा ।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/budget-2022-23-direct-taxes>

